

केवाईसी प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित हुई

नई दिल्ली। बैंक खाता खोलने के लिए आधार के स्वैच्छिक उपयोग और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य दस्तावेजों के जरिये सत्यापन वालों मामलों में डिजिटल केवाईसी (अपने ग्राहकों को जानो) की व्यवस्था से उपभोक्ताओं के लिए यह प्रक्रिया सुरक्षित और सरल हो गई है। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बुधवार को यह कहा।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले सप्ताह मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया। इसमें बैंक खाता खोलने के लिए आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति दी गई है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों के जरिये सत्यापन का उल्लेख है।